न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायालय, सुपौल।

परिवाद पत्र (SC/ST) सं0– 77सी/2022

18/03/2022

परिवादी परमेश्वरी पासवान की ओर से वजरिये अधिवक्ता हाजरी दी गयी। वाद पुकारा गया। पुकार पर उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख आदेश हेतु उपस्थापित किया गया।

प्रस्तुत वाद परिवादी परमेश्वरी पासवान के द्वारा अभियुक्त सुर्य नारायण शर्मा, किसलय कुमार उर्फ पप्पु शर्मा, गौतम कुमार के विरुद्ध दायर किया गया है। परिवादी का शपथ पर बयान लेने के पश्चात जांच साक्ष्य के कम में उपस्थित 02 साक्षियों का जांच साक्ष्य कराया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। परिवादी का शपथ पर बयान एवं जॉच साक्ष्य के कम में उपस्थित जांच साक्षियों के साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि **अभियुक्त 1.** सुर्य नारायण शर्मा, 2. किसलय कुमार उर्फ पप्पु शर्मा एवं 3. गौतम कुमार **के विरूद्ध धारा 341, 323, 379, 427, 504 भा0दं0वि0 एवं 3(i)(x) SC/ST Act के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला परिलक्षित होता है** तथा उक्त दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अतः अभिलेख विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि आवश्यक अपेक्षिकाऐं दाखिल करें। तत्पश्चात् कार्यालय लिपिक अभियुक्तों के उपस्थिति हेतु सम्मन जारी करें।

दिनांक 04/04/24 आपेक्षित दाखिल करने वास्ते।

Nishi Kant Thakur
18/3/24

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–
सह–विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0),
सुपौल